



S.L. EDUCATION INSTITUTE

Pallupura Ghosi, Post-Pakwara, Distt.-Moradabad

Mob.: 9458684488, 8445989158, 09999036022, 9410067992

E-mail : ycmtrust@yahoo.com

Ref. No.: SLEI/ICBSE/Recognition

Date 28.01.2023.

Dear Sir,

Pointwise reply to the observations is given below:

1. Recognition letter for Class I-V and class VI – VIII from State Education Department under RTE Act was issued vide letter reference no. E-UPS-683/2020 dated 19-03-2020 and E-UPS-689/2020 dated 21-03-2020 respectively (copy attached). This was valid for one year.

State Education Department started online recognition system and certificate of school recognition for Class I-V and class VI – VIII from State Education Department under RTE Act was issued online bearing recognition no. 683 dated 09.12.2021 and recognition no. 689 dated 15-12-2021 respectively (copy attached).

Please note that this is auto generated document issued by State Education Department for permanent recognition of our school and in the present system there is no other document issued other than this certificate for recognition of school. State Education Department has also confirmed the same to us. It is requested to consider these certificates of School Recognition as recognition letter.

2. Land area mentioned in part -A is 10077 sq metre and is correct. Total Land of 15704 sq metre area is in the name of Smt Chandramukhi (Chairperson of Yatish Chandra Memorial Trust) and out of total 15704 sq metre area 10077 sq metre was given to S. L. Education Institute, Pallupura Ghosi District Moradabad on long term lease of 30 years vide registered lease document no. 12699 dated 17-12-2014 (copy attached.)

As desired, land certificate with 10077 sq metre area issued by Tehsildar Moradabad on 18.01.2023 is attached herewith.

Since total land area owned by Smt Chandramukhi is 15704 sq metre, there was mention of 15704 sq metre land area in previous land certificate.

It is requested to please consider our reply and clarification along with desired documents and process our application for recognition.

Regards

Shashi
28/1/23

Dr Shashi Chandra

PRINCIPAL
S.L. Education Institute
Pallupura Ghosi
Moradabad

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मुरादाबाद।

सेवा में,

प्रबंधक,
एस0एल0 एजूकेशन इन्स्टीट्यूट,
पल्लुपुरा घोसी,
वि0खं0 मुरादाबाद।

पत्रांक: वै0सहा0/मान्यता/ E-PS-689/2020 /2019-20 दिनांक: 21-03-2020

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके आवेदन पत्र दिनांक 10.12.2019 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्वी पत्राचार/निरीक्षण/जॉय उपरान्त, शासनादेश संख्या-89/अरसउ-3-2018-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ: 11 जनवरी, 2019 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मान्यता समिति (प्राथमिक विद्यालय) की बैठक दिनांक 20.03.2020 में लिये गये निर्णयानुसार एस0एल0 एजूकेशन इन्स्टीट्यूट, पल्लुपुरा घोसी वि0खं0-मुरादाबाद को कक्षा -1 से कक्षा-5 तक की अंग्रेजी माध्यम से अस्थायी औपबन्धिक मान्यता नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो एक वर्ष के पश्चात मान्यता से संबंधित नियमों/शर्तों का पुनः परीक्षण किया जायेगा और आर0टी0ई0 के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर एक वर्ष के पश्चात विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान की जायेगी। नियम/शर्तें निम्नवत् हैं:-

1. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
2. विद्यालय संचालित करने वाली संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत व नवीनीकृत हो।
3. विद्यालय किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह अथवा ऐसोसिएशन को लान पहुँचाने के लिए संचालित नहीं किया जायेगा।
4. मान्यता प्राप्त विद्यालय में उसके सुचारू रूप में संचालन के लिए उस विद्यालय के प्रबन्धाधिकरण द्वारा पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे तथा बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी।
5. मान्यता प्राप्त विद्यालय में, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से निम्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी और न ही पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।
6. विद्यालय में राष्ट्रीय गीतों एवं राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था की जायेगी।
7. विद्यालय प्रबंधन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों, विभागीय आदेशों तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन किया जायेगा।
8. भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय नुस्खों की संरक्षित के लिए प्राविधानित नीतियां तथा समय-समय पर निर्गत शासन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
9. विद्यालय के भवनों तथा परिसरों को किसी भी दशा में व्यावसायिक एवं आवासीय उद्देश्यों के लिए दिन और रात में प्रयोग नहीं किया जायेगा, परन्तु विद्यालय की सुरक्षा से संबंधित कर्मियों के आवास हेतु छूट रहेगी।
10. विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक अथवा गैर शैक्षिक क्रिया-कलापों के प्रयोग में भी नहीं लिया जायेगा।
11. विद्यालय भवन के अग्रभाग पर विद्यालय का नाम, मान्यता का वर्ष, विद्यालय कोड एवं मान्यता प्रदान करने वाली संस्था/निकाय का प्रतीक चिन्ह (Logo) एवं नाम सुस्पष्ट रूप से अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। अधिकतम दो वर्ष में विद्यालय भवन में रंग-रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।
12. विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उनसे उच्च स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा।
13. बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय/मण्डलीय/राज्य स्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विद्यालय से सूचना मांगे जाने पर आवश्यक आख्या एवं सूचनायें निर्देशानुसार उपलब्ध करायीं जायेगी तथा निर्देशों का पालन विद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
14. विद्यालय प्रबंधन द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-12 (1) (सी) के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया जायेगा।
15. शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होगी तथा अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जायेगा। हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ायी जायेगी।
16. विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा।
17. विद्यालय सोसाइटी का आवश्यकतानुसार उपर्युक्त निजी भवन होना चाहिए तथा महायोजना/सेक्टर प्लान में भू-उपयोग विद्यालय के नाम अंकित हो एवं विद्यालय का मानचित्र सगत प्राधिकारी से स्वीकृत होना अनिवार्य है।
18. दिव्यांग बच्चों की विद्यालय में सुगम पहुँच हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अद्यतन शासनादेशों एवं मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पूर्णतः अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। विद्यालय भवन की मजबूती, सुरक्षा एवं रख-रखाव का पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन का होगा।
19. विद्यालय में अग्नि शमनयंत्र मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना होगा।
20. प्राथमिक के प्रत्येक कक्षांशानुसार प्रति छात्र संख्या 09 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिए। विद्यालय में कक्षावार उतने ही छात्र-छात्राओं का प्रवेश दिया जाये, जिनके बैठने की समुचित व्यवस्था हो। प्रत्येक कक्षा-कक्ष में कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।
21. प्राथमिक स्तर की 5 कक्षायें, पुस्तकालय, वाचनालय, प्रधानाध्यापक, कार्यालय तथा स्टाफ के लिये अलग-अलग कक्ष, छात्र/छात्राओं तथा अध्यापक/अध्यापिकाओं के पृथक-पृथक मूत्रालय, शौचालय एवं हाथ साफ करने की समुचित व्यवस्था तथा पीने के स्वच्छ (जीवाणु रहित) पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
22. खेलकूद के लिये विद्यालय परिसर में या विद्यालय परिसर के समीप पर्याप्त कीड़ा स्थल उपलब्ध होना चाहिए। जिसका उपयोग विद्यालय के छात्र/छात्राएँ कर सकते हैं।

W

4

23. विद्यालय में छात्रोपयोगी विभिन्न विषयों की पुस्तकें, खेल-कूद का सामान, मानचित्र, विभिन्न शैक्षिक चार्ट, सामान्य ज्ञान, शिक्षाप्रद पुस्तकें तथा पत्र-पत्रिकाओं, पाठ्यक्रमानुसार आवश्यक विज्ञान सामग्री, प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यकतानुसार भौगोलिक नक्शों, ग्लोब, विषय से संबंधित चार्ट उपलब्ध होने चाहिए। पृथक् एवं श्रेष्ठ उपकरण आदि की व्यवस्था विद्यालय अपने आर्थिक संसाधनों के दृष्टिगत कर सकते हैं।
24. विद्यालय द्वारा रु 100000/- (एक लाख) की धनराशि का एक स्थाई सुरक्षित कोष बनाया जाएगा और उसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम में प्रतिभूत किया जाएगा।
25. मान्यता के पर्यंत विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के अनुसार न्यूनतम स्टाफ उपलब्ध होना चाहिए।
26. मान्यता प्राप्त विद्यालयों के कर्मियों का वेतन भुगतान प्रबंधतंत्र द्वारा अपने निजी अंत से किया जायेगा।
27. प्राथमिक शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता नहीं होगी जैसा कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली-1981 (अद्यतन संशोधित) में निहित है। उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूहाउस्कूल) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तों) नियमावली-1978 (यथासंशोधित) के अनुसार होगी।
28. मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।
29. मान्यता प्राप्त कक्षाओं के अतिरिक्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई अनुभाग (सेक्शन) न खोला जायेगा और न ही बन्द किया जायेगा न समाप्त किया जायेगा और न ही स्थानान्तरित किया जायेगा। विद्यालय को शाखा विद्यालय चलाने की अनुमति नहीं होगी।
30. विद्यालय बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-19 एवं अनुसूची में विहित स्तर एवं मानकों को स्थापित रखेगा।
31. विद्यालय प्रबंधतंत्र द्वारा विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं का कक्षावार एवं विषयवार अधिगम स्तर एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार बनाये रखना अनिवार्य होगा।
32. प्राथमिक (प्राइमरी) / उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) की शिक्षा प्रदान करने वाले अशासकीय (मान्यता प्राप्त) विद्यालय स्वयंसेवक पंथित होंगे, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा तथा अनुदान स्वीकृति हेतु उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
33. मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं मंहगाई शुल्क मिलाकर उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो अध्यापकों/कर्मचारी कल्याणकारी योजना का अंशदान वहन करने के लिए पर्याप्त हो। इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा मंहगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पर्यंत शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई वृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी। शुल्क में जब वृद्धि की जायेगी वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
34. विद्यालय द्वारा पंजीकरण शुल्क, स्कूल भवन शुल्क तथा केपिटेशन के रूप में कोई फीस विद्यार्थियों से लेना वर्जित है।
35. लेखाओं को तम्परीक्षा और प्रमाणन किसी चाटर्ड एकाउंटेंट द्वारा किया जाना चाहिए और नियमानुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद को प्रेषित की जानी चाहिए।
36. विद्यालय के कर्मचारियों के लिए प्रबन्धाधिकरण द्वारा सेवा नियमावली बनाकर प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें नियुक्ति का प्रकार, परिवर्धनाकाल, स्थाईकरण तथा दण्ड के सम्बन्ध में संविधान एवं विधि सम्मत प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है। सेवा नियमावली में अवकाश, पेंशन, प्रोव्यूटी, बीमा, पी0एफ0 तथा अन्य कर्मचारी कल्याणकारी योजना का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।
37. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता सम्बन्धित कोड संख्या E-PS-689/2020 है। कृपया इतकों ध्यान रखा जाय और इस कार्यालय से किसी प्रकार के पत्रव्यवहार के लिए इस संख्यांक को उद्धृत करने का कष्ट करें।
38. सभिति/विद्यालय कोई प्रतिव्ययित शुल्क संग्रह नहीं करेगा और बालक अथवा उसके नता-पिता या अभिभावक को किसी जाय प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
39. विद्यालय प्रवेश से बहित नहीं करेगा-
(क) बालक का आयु-प्रमाण नव न होने पर,
(ख) धर्म, जाती अथवा नरत-जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी अभाव पर।
40. विद्यालय निम्नलिखित बातों को भी सुनिश्चित करेगा :
(एक) किसी विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तथा प्रवेश दिये गये किसी बालक को किसी कक्षा में नहीं भेजा गया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा,
(दो) किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन का भागी नहीं बनाया जायेगा,
(तीन) किसी भी बालक से प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बॉर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं है,
(चार) प्रत्येक बालक को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने पर नियम 23 के अन्तर्गत निर्धारण के अनुसार एक प्रमाण-पत्र सितरित किया जायेगा,
(पांच) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निश्कलाप्रत/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का अन्तर्वेशन,
(छ:) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन निर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करता है, और
(सात) अध्यापक व्यक्तिक अध्यापन विद्यालयों के निर्मित स्वयं को नहीं समायेगा।

कृपया उपरोक्त का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। विद्यालय प्रबंधतंत्र द्वारा कूटरचना/तथ्यगोपन/मान्यता की शर्तों में उल्लंघन होने से संबंधित कोई तथ्य संज्ञान में पाया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता का प्रत्याहरण कर लिया जायेगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबंधाधिकरण का होगा। इसमें किसी भी प्रकार का वाद-विवाद योजित नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

(योगेन्द्र कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुरादाबाद।

पृष्ठ सं / वै0सहा0/मान्यता /

/2019-20

दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद।
2. मुख्य विकास अधिकारी, मुरादाबाद।
3. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद।
6. जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, मुरादाबाद।
7. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद मुरादाबाद।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुरादाबाद।

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मुरादाबाद।

सेवा में,

प्रबंधक,
एस0एल0 एजूकेशन इन्स्टीट्यूट,
पल्लुपुरा घोसी,
वि0खं0 मुरादाबाद।

पत्रांक: वै0सहा0/मान्यता/ए-UPS-683)2020/2019-20 दिनांक: 19-03-2020

विषय: नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, आपके आवेदन पत्र दिनांक 10.12.2019 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण/जॉच उपरान्त, शासनादेश संख्या-89/अरसठ-3-2018-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ: 11 जनवरी, 2019 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मान्यता समिति (उच्च प्राथमिक विद्यालय) की बैठक दिनांक 18.03.2020 में लिये गये निर्णयानुसार एस0एल0 एजूकेशन इन्स्टीट्यूट, पल्लुपुरा घोसी वि0खं0-मुरादाबाद को कक्षा -6 से कक्षा-8 तक की अंग्रेजी माध्यम से अस्थायी औपबन्धिक मान्यता नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो एक वर्ष के पश्चात मान्यता से संबंधित नियमों/शर्तों का पुनः परीक्षण किया जायेगा और आर0टी0ई0 के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर एक वर्ष के पश्चात विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान की जायेगी। नियम/शर्तें निम्नवत् है:-

1. विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और उत्तर प्रदेश नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
2. विद्यालय संचालित करने वाली संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत व नवीनीकृत हो।
3. विद्यालय किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह अथवा एसोसिएशन को लान पहुँचाने के लिए संचालित नहीं किया जायेगा।
4. मान्यता प्राप्त विद्यालय में उसके सुधार रूप में संचालन के लिए उस विद्यालय के प्रबंधाधिकरण द्वारा पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जायेगे तथा बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी।
5. मान्यता प्राप्त विद्यालय में, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम या राज्य पुरतकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिला की जायेगी और न ही पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।
6. विद्यालय में राष्ट्रीय गीतों एवं राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था की जायेगी।
7. विद्यालय प्रबंधन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों, विभागीय आदेशों तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन किया जायेगा।
8. भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की संप्रति के लिए प्राविधानित नीतियां तथा रामय-समय पर निर्गत शासन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
9. विद्यालय के भवनों तथा परिसरों को किसी भी दशा में व्यावसायिक एवं आवासीय उद्देश्यों के लिए दिन और रात में प्रयोग नहीं किया जायेगा, परन्तु विद्यालय की सुरक्षा से संबंधित कार्यों के आवास हेतु छूट रहेगी।
10. विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक अथवा मौर शैक्षिक किया-कलाओं के प्रयोग में भी नहीं लिया जायेगा।
11. विद्यालय भवन के अग्रभाग पर विद्यालय का नाम, मान्यता का वर्ष, विद्यालय कोड एवं मान्यता प्रदान करने वाली संस्था/निकाय का प्रतीक चिन्ह (Logo) एवं नाम सुस्पष्ट रूप से अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। अधिकतम दो वर्ष में विद्यालय भवन में रंग-रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।
12. विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उनसे उच्च स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा।
13. बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय/मण्डलीय/राज्य स्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विद्यालय से सूचना मांगे जाने पर आवश्यक आस्था एवं सूचनाएँ निर्देशानुसार उपलब्ध करायी जायेगी तथा निर्देशों का पालन विद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
14. विद्यालय प्रबंधन द्वारा नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-12 (1) (सी) के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया जायेगा।
15. शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होगी तथा अकों के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जायेगा। हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ायी जायेगी।
16. विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा।
17. विद्यालय सोसाइटी का आवश्यकतानुसार उपयुक्त निजी भवन होगा चाहिए तथा महायोजना/सेक्टर प्लान में सू-उपयोग विद्यालय के नाम अंकित हो एवं विद्यालय का मानचित्र संगत प्राधिकारी से स्वीकृत होना अनिवार्य है।
18. दिव्यांग बच्चों की विद्यालय में सुगम पहुँच हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अद्यतन शासनादेशों एवं मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पूर्णतः अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। विद्यालय भवन की मजदूती, सुरक्षा एवं रख-रखाव का पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन का होगा।
19. विद्यालय में अग्नि शमनयंत्र मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना होगा।
20. उच्च प्राथमिक के प्रत्येक कक्षाभूभाग में प्रति छात्र संख्या 09 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिए। विद्यालय में कक्षावार उतने ही छात्र-छात्राओं का प्रवेश दिया जाये, जिनके बैठने की समुचित व्यवस्था हो। प्रत्येक कक्षा-कक्ष में कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।
21. उच्च प्राथमिक स्तर की 3 कक्षाएँ, पुस्तकालय, बाचनालय, प्रधानाध्यापक, कार्यालय तथा स्टाफ के लिये अलग-अलग कक्ष, छात्र/छात्राओं तथा आगपक/अध्यापिकाओं के पृथक-पृथक मूत्रालय, शौचालय एवं हाथ साफ करने की समुचित व्यवस्था तथा पीने के स्वच्छ (जीवाणु रहित) पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
22. खेलकूद के लिये विद्यालय परिसर में या विद्यालय परिसर के समीप पर्याप्त कीड़ा स्थल उपलब्ध होना चाहिए। जिसका उपयोग विद्यालय के छात्र/छात्राएँ कर सकते हैं।

W

4

23. विद्यालय में छात्रोपयोगी विभिन्न विषयों की पुस्तकें, खेल-कूद का सामान, मानचित्र, विभिन्न शैक्षिक चार्ट, सामान्य ज्ञान, शिक्षाप्रद पुस्तकें तथा पत्र-पत्रिकाओं, पाठ्यक्रमानुसार आवश्यक विज्ञान सामग्री, प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यकतानुसार भौगोलिक नक्शों, स्लॉब, विषय से संबंधित चार्ट उपलब्ध होने चाहिए। दृश्य एवं श्रव्य उपकरण आदि की व्यवस्था विद्यालय अपने आर्थिक संसाधनों के दृष्टिगत कर सकते हैं।
24. विद्यालय द्वारा ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) की धनराशि का एक स्थाई सुरक्षित कोष बनाया जाएगा और उसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम में प्रतिभूत किया जाएगा।
25. मान्यता के पश्चात् विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के अनुसार न्यूनतम स्टाफ उपलब्ध होना चाहिए।
26. मान्यता प्राप्त विद्यालयों के कर्मियों का वेतन मुग्तान प्रबन्धतंत्र द्वारा अपने निजी खेत से किया जायेगा।
27. उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जू0हा0स्कूल) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्त) नियमावली-1978 (संशोधित) के अनुसार होगी।
28. मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।
29. मान्यता प्राप्त कक्षाओं के अतिरिक्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्ण अनुमति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई अनुभाग (सेक्शन) न खोला जायेगा और न ही बन्द किया जायेगा न समाप्त किया जायेगा और न ही स्थानान्तरित किया जायेगा। विद्यालय को शखा विद्यालय चलाने की अनुमति नहीं होगी।
30. विद्यालय बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-19 एवं अनुसूची में विहित स्तर एवं मानकों को स्थापित रखेगा।
31. विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं का कक्षावार एवं विषयवार अधिगन स्तर एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार बनाये रखना अनिवार्य होगा।
32. प्राथमिक (ग्राइमरी)/ उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) की शिक्षा प्रदान करने वाले अशासकीय (मान्यता प्राप्त) विद्यालय स्वयंसेवक होंगे, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा तथा अनुदान स्वीकृति हेतु उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
33. मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं मंहगाई शुल्क मिलाकर उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो अध्यापकों/कर्मचारी कल्याणकारी योजना का अंशदान बहन करने के लिए पर्याप्त हो। इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा मंहगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन मुग्तान के पश्चात् शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई वृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी। शुल्क में जब वृद्धि की जायेगी वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
34. विद्यालय द्वारा पंजीकरण शुल्क, स्कूल भवन शुल्क तथा कैपिटेशन के रूप में कोई फीस विद्यार्थियों से लेना वर्जित है।
35. लेखाओं की सम्परीक्षा और प्रमाणन किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा किया जाना चाहिए और नियमानुसार समुचित लेखा दिवरण तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा दिवरण की एक प्रति, प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद को प्रेषित की जानी चाहिए।
36. विद्यालय के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण द्वारा सेवा नियमावली बनाकर प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें नियुक्ति का प्रकार, परिवेक्षाकाल, स्थाईकरण तथा पण्ड के सम्बन्ध में संविधान एवं विधि सम्मत प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है। सेवा नियमावली में अवकाश, पेंशन, रोयट्टी, बीमा, पी0एफ0 तथा अन्य कर्मचारी कल्याणकारी योजना का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।
37. अपने विद्यालय को आवंटित मान्यता सम्बन्धित कोड संख्या EU-UPS-683/2020 है। कृपया इसको ध्यान रखा जाय और इस कार्यालय से किसी प्रकार के पत्रव्यवहार के लिए इस संख्यांक को उद्धृत करने का कष्ट करें।
38. समिति/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क संग्रह नहीं करेगा और बालक अथवा उसके माता-पिता या अभिभावक को किसी जांच प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
39. विद्यालय प्रवेश से बंधित नहीं करेगा-
(क) बालक का आयु-प्रमाण पत्र न होने पर
(ख) धर्म, जाति अथवा भेदा, जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी अक्षर पर।
40. विद्यालय निम्नलिखित बातों को भी सुनिश्चित करेगा-
(एक) किसी विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक प्रवेश दिये गये किसी बालक को किसी कक्षा में नहीं रखा जायेगा या उसे विद्यालय से निष्काशित नहीं किया जायेगा।
(दू) किसी बालक को शारीरिक पण्ड या मानसिक उपदेहन का भागी नहीं बनाया जायेगा।
(तीन) किसी भी बालक से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं है।
(चार) प्रत्येक बालक को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने पर निम्न 25 के अन्तर्गत निर्धारण के अनुसार एक प्रमाण-पत्र वितरित किया जायेगा।
(पांच) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निश्चिततयास्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का अनुवैधानिक अथवा अतिरिक्त अधिनियम की धारा 24 (1) के अर्धीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा है, और
(सात) अध्यापक व्यावसायिक अध्ययन कियकृतियों के निमित्त स्वयं को नहीं लगायेगा।

कृपया उपरोक्त का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा कूटरचना/तथ्यगोपन/मान्यता की शर्तों में उल्लंघन होने से संबंधित कोई तथ्य संज्ञान में पाया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता का प्रत्याहरण कर लिया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबंधाधिकरण का होगा। इसमें किसी भी प्रकार का वाद-विवाद योजित नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

(योगेन्द्र कुमार)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

मुरादाबाद।

दिनांक उक्तवत्।

मुरादाबाद/मुरादाबाद/मान्यता/

/2019-20

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सेवा में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद।
2. मुख्य विकास अधिकारी, मुरादाबाद।
3. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद।
6. जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, मुरादाबाद।
7. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद मुरादाबाद।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

मुरादाबाद।



Office of the District Basic Education Officer
MORADABAD

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that S.L. EDUCATION INSTITUTE, VILL PALLUPURA GHOSI POST PAKBARA DISTT MORADABAD is permanently recognized for Primary(class 1 to 5). The Recognition number allotted to S.L. EDUCATION INSTITUTE is 689. The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE

15-12-2021(DD/MM/YYYY)

3. Recognition Type

Old

4. School Type

Pre-Primary School and Primary School

5. Recognition No.

689

DATE:- 15-12-2021

PLACE:- MORADABAD

District Basic Education Officer



Office of the District Basic Education Officer
Moradabad

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that S.L. EDUCATION INSTITUTE, VILL PALLUPURA GHOSI POST PAKBARA DISTT MORADABAD is permanently recognized for Upper Primary(class 6 to 8). The Recognition number allotted to S.L. EDUCATION INSTITUTE is 683. The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE

09-12-2021(DD/MM/YYYY)

3. Recognition Type

Old

4. School Type

Upper Primary School(6 to 8)

5. Recognition No.

683

DATE:- 09-12-2021

PLACE:- Moradabad

District Basic Education Officer

दिशा-निर्देश

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

MORADABAD

सेवा में,

प्रबंधक

S.L. EDUCATION INSTITUTE

VILL FALLUPURA GHOSI POST PAKBARA DISTT
MORADABAD

MORADABAD

पत्रांक-बेसिक/मान्यता/

/2020-21

दिनांक :- 21/Jan/2023

विषय- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धरा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) तथा नियमावली 2011 के अधीन विद्यालय के लिए अंतिम मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पञ्चातवर्ती पत्राचार /निरिक्षण की प्रति एवं मान्यता समिति के निर्देश से मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ आपके विद्यालय को शिक्षा सत्र 2020-21 से एक वर्ष की अवधि के लिए प्राइमरी स्तर (I - V) स्तर अंग्रेजी माध्यम की अंतिम (स्थापी) मान्यता प्रदान की संसूचना देता हूँ।

आपको यह सूचना निम्नलिखित पत्रों के द्वारा जिले वाले के अधीन दे

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता दिवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबंध 2) तथा नियमावली 11 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यक्षीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और व अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
7. (1)- प्रवेश दिए गए किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
(2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यक्षीन नहीं किया जायेगा।
(3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

(6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित यथा न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हो, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रिया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचार्य के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा।

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल- 2348

कुल निर्मित क्षेत्रफल-10077

क्रीडास्थल- हाँ

कक्षाओं की संख्या- NaN

प्रधानाध्यापक, कार्यालय एवं स्टाफ के लिए कक्षाओं की संख्या- 1,1,1

पुस्तकालय/वाचनालय कक्षाओं की संख्या- 1

बातक/बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय की संख्या- 18

बाधारहित पहुँच – हों

अध्यापन पठान सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/काष्ठोपकरण/विज्ञान सामग्री की उपलब्धता- हों

10. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जाएगी।
11. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जायेगा।
12. विद्यालय भवनों या अन्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटीज द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
13. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।
14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
15. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक-689 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
16. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट या सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत-अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय

17. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
18. विद्यालय/संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार यू.डाइस + से सम्बंधित सूचनाएं/आंकड़े भरना अनिवार्य होगा।
19. शासनदेश दिनांक 11.1.2019 एवं 29.06.2020 में उल्लिखित समस्त निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत विभागीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इस सम्बन्ध में यह भी आदेशित किया जाता है कि मान्यता पत्रावली के साथ प्रस्तुत पत्राजातों में भविष्य में कोई भी तथ्य गोपन / कूटरचना प्रकाश में आती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त करने के साथ ही विद्यालय प्रबंधक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी। जिसके लिए विद्यालय प्रबंधक स्वयं उत्तरदायी होगा।

दिशा-निर्देश

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
MORADABAD

सेवा में,

प्रबंधक
S.L. EDUCATION INSTITUTE
VILL PALLUPURA GHOSI POST PAKBARA DISTT
MORADABAD
MORADABAD

पत्रांक-बेसिक/मान्यता/

/2020-21

दिनांक :- 21/Jan/2023

विषय- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धरा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) तथा नियमावली 2011 के अधीन विद्यालय के लिए अनंतिम मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरिक्षण की प्रति एवं मान्यता समिति के निर्देश से मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ आपके विद्यालय को शिक्षा सत्र 2020-21 से एक वर्ष की अवधि के लिए अपर-प्राइमरी स्तर (VI - VIII) स्तर अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम (स्थायी) मान्यता प्रदान की संसूचना देता हूँ।

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाधता दिवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबंध 2) तथा नियमावली 11 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यक्षीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और व अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
 7. (1)- प्रवेश दिए गए किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यक्षीन नहीं किया जायेगा।
 - (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगा।

अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशुल्कताग्रस्त /विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

(6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित यथा न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हो, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रिया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचार्य के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा।

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल- 2348

कुल निर्मित क्षेत्रफल-10077

क्रीडास्थल- हॉ

कक्षाओं की संख्या- NaN

प्रधानाध्यापक, कार्यालय एवं स्टाफ के लिए कक्षाओं की संख्या- 1,1,1

पुस्तकालय /वाचनालय कक्षाओं की संख्या- 1

बालक/बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय की संख्या- 18

बाधारहित पहुँच – हाँ

अध्यापन पठान सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/काष्ठोपकरण/विज्ञान सामग्री की उपलब्धता- हाँ

10. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जाएगी।
11. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जायेगा।
12. विद्यालय भवनों या अन्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटीज द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
13. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।
14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
15. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कौड संख्यांक-683 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
16. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट या सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर शिस्खा निदेशक /जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय

17. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
18. विद्यालय /संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार यू-डाइस + से सम्बंधित सूचनाएं/आंकड़े भरना अनिवार्य होगा।
19. शासनदेश दिनांक 11.1.2019 एवं 29.06.2020 में उल्लिखित समस्त निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत विभागीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इस सम्बन्ध में यह भी आदेशित किया जाता है कि मान्यता पत्रावली के साथ प्रस्तुत पत्राजातों में भविष्य में कोई भी तथ्य गोपन / कूटरचना प्रकाश में आती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त करने के साथ ही विद्यालय प्रबंधक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी। जिसके लिए विद्यालय प्रबंधक स्वयं उत्तरदायी होगा।